पत्र संख्या–बी0/विधि–अभि0–क–13/2015– 1326 /जे0

झारखण्ड सरकार,
विधि (न्याय) विभाग,
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–834004.

प्रेषक,

बी0बी0 मंगलमूर्त्ति,
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/
सचिव/विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड सरकार, राँची ।

राँची, दिनांक– 10 जुलाई, 2015.

विषयः– अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील सं0–1838/2013 में पारित दिशा निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी0बी0आई0 बनाम अशोक कुमार अग्रवाल (क्रिमिनल अपील सं0–1838/2013) वाद में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में पारित न्यायनिर्णय में कतिपय दिशा निर्देश दिया गया है, जिसका अभियोजन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के समय दृष्टिपथ में रखा जाना आवश्यक है। उक्त न्यायनिर्णय WWW.supremecourtofindia.nic.in पर उपलब्ध है।

अभियोजन द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु इस निमित अधिकृत सक्षम प्राधिकार को सभी प्रासंगिक अभिलेख/दस्तावेज यथा–प्राथमिकी, स्वीकारोक्ति बयान, गवाह का बयान, जब्ती सूची, **आरोप पत्र प्रारूप** एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेज का भेजा जाना नितांत आवश्यक होगा।

अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत सक्षम प्राधिकार स्वयं उनके समक्ष प्रस्तुत सभी अभिलेखों/दस्तावेजों का पूर्णरूपेण एवं गहनता से जाँच करने के उपरान्त स्वविवेक से निर्णय लेगें ।

उल्लेखनीय है कि अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्रशासी विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी (जो उन्हें पद से हटाने के लिए सक्षम हैं) द्वारा निर्गत होता है। निर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश से यह सुस्पष्ट परिलक्षित होना चाहिए कि सक्षम प्राधिकार सभी प्रासंगिक अभिलेखों/दस्तावेजों से अवगत हैं तथा अपने स्वविवेक (application of mind) का प्रयोग किया है।

तदोपरान्त पत्र प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नकः–उक्त न्याय निर्णय का कंडिका–8

विश्वासभाजन,

10.07.15

(बी0बी0 मंगलमूर्त्ति),
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

ज्ञापांक–बी0/विधि–अभि0–क–13/2015– 1326 /जे0, राँची, दिनांक– 10 जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः–उपमहानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राँची प्रक्षेत्र, राँची/उपमहानिरीक्षक, निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बी0बी0 मंगलमूर्त्ति),
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।